

**M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN WRITTEN EXAM -2021**

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

Total No. of Questions : 18  
कुल प्रश्नों की संख्या : 18

No. of Printed Pages : 4  
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

**CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE**

**संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया**

**First Question Paper**

**प्रथम प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे  
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100  
Maximum Marks – 100

निर्देश :-

**Instructions :-**

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

**CONSTITUTION OF INDIA**

**भारत का संविधान**

1. Discuss the scope of the "Freedom of Speech and Expression". Does it include freedom of press ? Is it an absolute right ?  
वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वातंत्र्य के विस्तार की व्याख्या करें। क्या प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल है ? क्या यह आत्यंतिक (पूर्ण) अधिकार है ? 8
2. Whether Right to die is a fundamental right under Article 21 of Constitution of India ? Discuss with case law.  
क्या स्वयं का जीवन समाप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है ? न्यायदृष्टांत सहित व्याख्या करें। 4
3. What are the major commitments incorporated in preamble of constitution of India ?  
भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट प्रमुख प्रतिबद्धताएँ क्या हैं ? 4

**CIVIL PROCEDURE CODE, 1908**

**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908**

4. Describe the principle of Res Judicata. Whether principle of Res Judicata is applicable against co-plaintiffs and co-defendants ? If yes, under what circumstances ?  
पूर्व-न्याय के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या सह-वादीगण एवं सह-प्रतिवादीगण के विरुद्ध भी पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू होता है ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ? 8
5. Discuss legal provisions relating to withdrawal of suit. Whether transposition of defendants as plaintiffs may be permitted? If so, when?  
वाद के प्रत्याहरण से संबंधित विधिक प्रावधानों की व्याख्या करें ? क्या प्रतिवादीगण का वादियों के रूप में पक्षान्तरण अनुज्ञात किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब ? 4
6. What are the grounds for rejection of a plaint ? What will be procedure consequent to rejection of plaint ? Whether rejection of plaint precludes presentation of fresh plaint on same cause of action by plaintiff ?  
वादपत्र को नामंजूर किये जाने के क्या आधार हैं ? नामंजूर किये जाने पर क्या प्रक्रिया होगी ? क्या वादी वादपत्र की नामंजूरी से उसी वाद-हेतुक के बारे में नया वाद-पत्र उपस्थित करने से प्रवारित हो जाएगा ? 4

**TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882**  
**संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882**

7. Explain:- 8
- (a) Difference between lease and licence.  
(b) Attestation, Notice and Subrogation.  
(c) Principle of lis-pendens.  
स्पष्ट करे :-  
(ए) पट्टा और अनुज्ञप्तिधारी में अंतर।  
(बी) अनुप्रमाणन, सूचना और प्रत्यासन।  
(सी) विचाराधीन वाद का सिद्धांत।
8. Discuss about transfer by ostensible owner and transfer by unauthorised person, who subsequently acquires interest in property transferred ? 4
- दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण एवं अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है, के संबंध में व्याख्या करें ?
9. Write a short note on Fraudulent Transfer. 4
- कपटपूर्ण अंतरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

**INDIAN CONTRACT ACT, 1872**  
**भारतीय संविदा अधिनियम, 1872**

10. What is the measure of compensation for breach of contract where penalty is stipulated for, in the contract? Explain with illustrations. 8
- जहां कि संविदा में शास्ति का अनुबंध है वहाँ संविदा-भंग के लिए प्रतिकर का मापदंड क्या होगा ? दृष्टान्तों की सहायता से समझाईये।
11. Describe undue influence and fraud ? 4
- असम्यक् असर और कपट की व्याख्या कीजिए ?
12. Explain :- 4
- (i) All contracts are agreements, but all agreements are not contracts.  
(ii) "Novation" and "Accord and Satisfaction".  
व्याख्या करे :-  
(i) सभी संविदा, अनुबंध हैं किंतु सभी अनुबंध, संविदा नहीं हैं ?  
(ii) "नवीयन" तथा "समझौता व तुष्टि"।

**SPECIFIC RELIEF ACT, 1963**  
**विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963**

13. What are the various kinds of injunctions and describe grounds to grant such injunctions? 8  
विभिन्न प्रकार की निषेधाज्ञायें क्या-क्या हैं और ऐसी निषेधाज्ञाओं को अनुदत्त किये जाने के आधारों का वर्णन कीजिए ?
14. Write a short note on "rectification of Instruments." 4  
"लिखतों की परिशुद्धि" पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
15. Explain the law relating to recovery of possession of Immovable property ? Whether in a case for specific performance of contract of sale, it is necessary for a plaintiff to claim the relief of "possession". 4  
स्थावर संपत्ति के आधिपत्य की प्रत्युद्धरण से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिये? क्या विक्रय की संविदा के विशिष्ट अनुपालन के वाद में वादी के लिए "आधिपत्य" का अनुतोष मांगना आवश्यक है ?

**LIMITATION ACT, 1963**  
**परिसीमा अधिनियम, 1963**

16. Discuss effect of substituting or adding new plaintiff or defendant with reference to date of institution of suit ? 4  
वाद संस्थित दिनांक के संदर्भ में नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने के प्रभाव की विवेचना करें ?
17. "Limitation bars the remedy but does not destroy the right". 4  
Discuss and state the exceptions if any.  
"समयावधि अनुतोष को बाधित करती है, किंतु यह अधिकार को समाप्त नहीं करती"। व्याख्या करे और यदि हो तो, इसके अपवादों का उल्लेख करे।

**MIXED / मिश्रित**

18. Write Short-notes on / इनपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-
- (A) Control over subordinate Court under Article 235 of Constitution of India. 4  
(अ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।
- (B) Ready and willing to perform the terms of contract. 4  
(ब) संविदा की शर्तों के अनुपालन हेतु तैयार व तत्पर रहना।
- (C) Describe Concept of "precept" under Civil Procedure Code? 4  
(स) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत "आज्ञा पत्र" कि संकल्पना की विवेचना कीजिए?

\*\*\*\*\*

**M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN WRITTEN EXAM -2021**

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 05  
Total No. of Questions : 05

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 8  
No. of Printed Pages : 8

**ARTICLE & SUMMARY WRITING**  
**लेखन एवं संक्षेपण**

**Second Question Paper**  
**द्वितीय प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे  
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100  
Maximum Marks - 100

**निर्देश :-**

**Instructions :-**

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.  
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.  
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
1.	<p>Write an article in Hindi or English on any one of the following <b>social</b> topics:</p> <p>निम्नलिखित <b>सामाजिक</b> विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:</p> <p>(i) Water scarcity in India. भारत में जल दुर्लभता।</p> <p>(ii) Clean India- Challenges and Remedies स्वच्छ भारत— चुनौतियां एवं समाधान</p>	20
2.	<p>Write an article in Hindi or English on any one of the following <b>legal</b> topics:-</p> <p>निम्नलिखित <b>विधिक</b> विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए :</p> <p>(i) Marital rape and its criminality in India. वैवाहिक बलात्संग और भारत में इसकी अपराधिता।</p> <p>(ii) Mediation- New hope towards inexpensive and speedy dispute resolution. मध्यस्थता— सस्ते एवं त्वरित विवाद निराकरण की ओर नई उम्मीद।</p>	20
3.	<p><b>Summarize any one of the following English /Hindi passage –</b> निम्नलिखित अंग्रेजी/हिन्दी अंश में से किसी एक का संक्षिप्तिकरण कीजिए –</p> <p style="padding-left: 40px;">It is a fact that unauthorised constructions are mushrooming in cities every day. In number of suits filed and pending against Municipal Corporations or Government bodies restricting the authorities from removing the unauthorised construction, interim reliefs continue for years, may be because in some cases the authorities do not file written statements or reply promptly or they do not move to the Court for vacating the interim reliefs. Fact remains that unauthorised constructions are regularly put up and the interim reliefs continue without any hindrance. Such order are having the effect of allowing the plaintiff to enjoy the fruits of his illegal actions including unauthorised construction. The result is that implementation of law suffers. This also tends to vacillate the faith</p>	20

of public at large in the justice delivery system and clearly undermines the Rule of Law. The Hon'ble Apex Court has deprecated the practice of continuation of interim relief without any hindrance for years together in **Asian Resurfacing of Road Agency v. Central Bureau of Investigation, AIR 2018 SC 2039** wherein It has been held that, "In cases where stay is granted in future the same will end on expiry of six months from the date of such order unless similar extension is granted by speaking order. The speaking order must show that the case was of such exceptional nature that continuing the stay was more important than having the trial finalized. Whatever stay has been granted by any Court including the High Court automatically expires within a period of six months, and unless extension is granted for good reason, within the next six months, trial court is, on the expiry of the first period of six months, to set date for the trial and go ahead with the same."

Issuance of an injunction is a discretionary and an equitable relief. It is not mandatory that such relief should be granted upon merely asking. It is not a charity at the cost of public interest. The stay order or interim injunction in case of unauthorised construction affects the society as a whole and administration of Municipal Corporations. Time and again the Hon'ble Apex Court has emphasized that "no compromise should be made with the town planning scheme and no relief should be given to the violator of the town planning scheme, etc., on the ground that he has spent substantial amount on the construction of the buildings. The Courts must see that the violators of law are not liberally be allowed to take protection of Court of law by obtaining ad interim injunctions which have the effect of continuing such violation resulting in infringement of right to life enshrined in Article 21 of the Constitution of India.

In suits filed and pending against Municipal Corporations or Government bodies restricting the authorities from removing the unauthorised construction, the Court should first consider whether the suit itself could be entertained on the basis of averments in the plaint. It is needless to say that the procedure established by law has to be followed by the public authorities, whether it be the State or a local body, including the Municipal Corporations. But at the same

time, the procedural lapses, unintentional or intentional, which do not seriously affect the substantive rights of a person, ought not to result in ad interim orders which protect illegality having already been committed by the plaintiff and to give licence of continuing fruits of such illegality for years.

**अथवा / OR**

यह सत्यता है कि शहरों में प्रतिदिन अप्राधिकृत निर्माण कुकरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। नगर निगमों या शासकीय निकायों के विरुद्ध प्रस्तुत एवं लंबित अनेकों दावे, जिनमें प्राधिकारियों को अप्राधिकृत निर्माण हटाने से निर्बन्धित किया गया है, अन्तरिम अनुतोष वर्षों तक जारी रहता है, ऐसा कुछ मामलों में प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से लिखित कथन या जबाब प्रस्तुत न करने या उनके द्वारा अन्तरिम अनुतोष हटवाने के लिए न्यायालय में न जाने से हो सकता है। यह तथ्य बना रहता है कि अप्राधिकृत निर्माण नियमित रूप से खड़े किए जाते हैं और अन्तरिम अनुतोष बिना किसी व्यवधान के जारी रहता है। ऐसे आदेशों का प्रभाव वादी को उसके अवैध कृत्यों जिसमें अप्राधिकृत निर्माण शामिल है, के फलों को भोग करने की अनुज्ञा देने का है। परिणाम यह है कि विधि का क्रियान्वयन सहन करता है। इसकी प्रवृत्ति वृहद रूप से लोगों के न्याय वितरण प्रणाली में भरोसे को हिलाने और विधि के शासन को स्पष्ट रूप से कमजोर भी करने की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी व्यवधान के वर्षों तक अन्तरिम अनुतोष जारी रखने की परिपाटी की **एशियन रीसरफेसिंग आफ रोड एजेंसी वि० सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन, AIR 2018 सु०को० 2039** में निंदा की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “भविष्य में, ऐसे मामलों में जिनमें स्थगन दिया गया है, वे ऐसे आदेश की दिनांक से 06 माह व्यपगत होने पर समाप्त हो जावेगा, जब तक कि सकारण आदेश द्वारा समरूप विस्तार न दिया गया हो। सकारण आदेश में यह दर्शित होना चाहिए कि मामला ऐसी आपवादिक प्रकृति का था कि स्थगन जारी रखना विचारण अंत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी स्थगन छः माह के भीतर स्वतः व्यपगत हो जावेगा, और जब तक कि किसी अच्छे कारण से विस्तारित न कर दिया गया हो, आगामी छः माह के भीतर, विचारण न्यायालय, प्रथम छः माह के व्यपगत होने पर, विचारण के लिए दिनांक नियत करेगी और उसी के साथ आगे बढ़ेगी।”

व्यादेश का जारी किया जाना एक विवेकाधीन एवं साम्यिक अनुतोष है। ऐसा आदेशात्मक नहीं है कि केवल मांगने भर से ऐसा अनुतोष दिया जाना चाहिए। यह लोक हित की कीमत पर खैरात नहीं है। स्थगन आदेश या अंतरिम व्यादेश, अप्राधिकृत निर्माण के मामले में समाज को और नगर निगम प्रशासन को समग्र रूप से प्रभावित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि “नगर योजना प्रणाली से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और नगर योजना प्रणाली, आदि, का उल्लंघन करने वाले को इस आधार पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जाना चाहिए कि उसने भवनों के निर्माण पर सारवान् राशि व्यय की है। न्यायालयों को यह अवश्य देखना चाहिए कि विधि का उल्लंघन करने वाले को उदारतापूर्वक न्यायालय से अन्तरिम व्यादेश

प्राप्त कर, संरक्षण की अनुज्ञा न प्राप्त करें जिसका प्रभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

नगर निगमों या शासकीय निकायों के विरुद्ध उन्हें अप्राधिकृत निर्माण हटाने से निर्बन्धित करने हेतु प्रस्तुत एवं लंबित वादों में न्यायालयों को सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि क्या वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर स्वयं वाद ग्रहण किया जा सकता है। यह कहना अनावश्यक है कि लोक प्राधिकारियों द्वारा, चाहे वह राज्य या स्थानीय निकाय, नगर निगमों सहित, हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ, आशयित या अनाशयित, जो किसी व्यक्ति के सारवान् अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करतीं, अन्तरिम आदेशों में फलित नहीं होनी चाहिए, जो वादी द्वारा पहले से ही कारित अवैधता को संरक्षित करती हैं और वर्षों तक ऐसी अवैधता के फलों को जारी रखने की अनुज्ञप्ति देती है।

#### 4. Translate the following 20 Sentences into English :-

निम्नलिखित 20 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :-

20

- (1) वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम सम्पत्ति हो, तो उसकी कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जायेगी।
- (2) कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा।
- (3) "न्यायालय" शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।
- (4) ऐसा क्या किया जाये कि यूक्रेन-रूस का युद्ध रोका जा सके ?
- (5) प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के दुरुपयोग एवं अतिउपयोग के परिणामस्वरूप ही आज हम बर्बादी की कगार पर हैं।
- (6) सम्पत्ति में का ऐसा हित, जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बन्धित है, उसके द्वारा अन्तरित नहीं किया जा सकता।
- (7) जहां तक हमारे अधिकारों का सवाल है, वे प्रजातंत्र में पूर्णतः संरक्षित हैं।
- (8) 'वसीयत' से अभिप्रेत हैं, वसीयतकर्ता की उसकी सम्पत्ति की बाबत विधिक घोषणा जो उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रभाव में ली जाने के लिये वांछित हैं।
- (9) 'न्यायिकेत्तर-संस्वीकृति', एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और संपोषक साक्ष्य के अभाव में उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये।
- (10) प्रत्येक बाल-विवाह, जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।
- (11) निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन और निर्धनता की जांच करने के खर्चे वाद के खर्चे होंगे।

- (12) न्यायालय, निर्णीत ऋणी के शरीर और संपत्ति के विरुद्ध एक साथ निष्पादन करने से इंकार, स्वविवेकानुसार कर सकेगा।
- (13) आवेदन किये जाने पर मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुये गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकेगा कि ऐसे छोड़े गये व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाये।
- (14) कोई भी व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योग्य न होगा, जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों।
- (15) मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा ऐसा आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होने के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर की होगी।
- (16) नीलामी-विक्रय को इसे प्रकाशित करने या संचालित करने में तात्विक अनियमितता या छल के आधार पर अपास्त किया जा सकता है।
- (17) वादी को आवश्यक पक्षकार के संयोजन का अवसर दिये बिना वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।
- (18) अपराध स्थल पर अपीलार्थीगण की उपस्थिति को साबित करने के लिए उनके विरुद्ध विधि-विज्ञानी साक्ष्य अपर्याप्त है।
- (19) रामेश्वर सिंह अ.सा. 01 की निशानदेही पर पूछताछ किये जाने पर एक बुशर्ट, पेन्ट्स, टेरीकॉट का एक पेन्ट का टुकड़ा जो दुकान से चुरा लिया गया था, बरामद हुए थे।
- (20) उपरोक्त के परिपेक्ष्य में इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि परशुराम सिंह की मृत्यु दुर्घटनात्मक मृत्यु थी।

5. **Translate the following 20 Sentences into Hindi :-** 20  
निम्नलिखित 20 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :-

- (1) Every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period of limitation shall be dismissed although limitation has not been set up as a defence.
- (2) A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust can not be specifically enforced.
- (3) The opinion or report given by the expert shall form part of the record of the suit.
- (4) All the constitutional authorities are supposed to be loyal to the duties discharged by them.

- (5) The Appellate court enjoys the power to dismiss the appeal without notice to the Lower court.
- (6) "Judgment- debtor" means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made.
- (7) Confessional statement of co- accused cannot by itself be taken as substantive piece of evidence against another co-accused.
- (8) "Heir" means any person, male or female, who is entitled to succeed to the property of an intestate under this Act.
- (9) A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him.
- (10) A dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section.
- (11) While deciding the bail application on the basis of parity, the role of accused in offence is most important aspect.
- (12) "Lawful increase" means an increase in rent permitted under the provisions of this act.
- (13) There shall be only one class of tenure-holders of land held from the state to be known as Bhumiswami.
- (14) As a bird cannot fly with one wing, similarly Nation can not rise leaving women behind.
- (15) Dismissal of the suit by the trial court on the ground that it is barred by limitation is illegal and the same deserves to be restored.
- (16) The testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness.
- (17) Magistrate should mention the reason that why he has no option but to dismiss the complaint.

- (18) The plaintiff has filed the present suit for recovery of money based on promissory note executed by the defendant in his favour.
- (19) It is not the case of accused that he either signed the cheque or parted with it under any threat or coercion.
- (20) Concept of insurance for a motor vehicle is to cover risk in case of an accident.

\*\*\*\*\*

**M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN WRITTEN EXAM -2021**

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--	--

Total No. of Questions : 18  
कुल प्रश्नों की संख्या : 18

No. of Printed Pages : 5  
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 5

**LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE**

**स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया**

**Third Question Paper**

**तृतीय प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे  
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100  
Maximum Marks – 100

निर्देश :-

**Instructions :-**

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No.  
/ प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks  
/ अंक

**M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961**

**म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961**

1. What are the restrictions on the eviction of tenants under Sec. 12 of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 ? Discuss. 8  
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा-12 के अंतर्गत अभिधारियों की बेदखली पर कौन से निर्बन्धन हैं ? व्याख्या करें।
2. Whether a widow can maintain a suit for eviction u/s 23 A (b) of M.P. Accommodation Control Act for her major sons ? 4  
क्या विधवा उसके वयस्क पुत्रों के लिए धारा 23-क (ख) म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली का वाद चला सकती है ?
3. (a) To which accommodations M.P. Accommodation Control Act, 1961 does not apply ? 4  
(b) Define "Land Lord" and "tenant" ?  
(अ) म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 किन स्थानों को लागू नहीं होता ?  
(ब) "भू-स्वामी" और "अभिधारी" को परिभाषित करें ?

**M.P. LAND REVENUE CODE, 1959**

**म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959**

4. Explain, state ownership in all lands and liability of land to payment of land revenue ? Is there any exception to it ? How is land revenue accessed ? 8  
समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व और भू-राजस्व के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व क्या है, व्याख्या कीजिये ? क्या इसका कोई अपवाद है ? भू-राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता है ?
5. Write a short note on "Service Land"? 4  
"सेवा भूमि" पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?
6. What are the classes of the "Revenue officers" ? 4  
"राजस्व अधिकारियों" के कौन-कौन से वर्ग हैं ?

**INDIAN EVIDENCE ACT, 1872**

**भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872**

7. What is dying declaration? Discuss its evidentiary value. Whether an accused can be convicted only on the basis of dying 8

declaration?

मृत्युकालिक—कथन क्या है ? इसके साक्षिक मूल्य की व्याख्या कीजिये ? क्या अभियुक्त मात्र मृत्युकालिक—कथन के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है?

8. What do you understand by Examination in chief, cross Examination and Re-Examination of witness ? 4  
साक्षी की "मुख्य परीक्षा", "प्रतिपरीक्षा" और "पुनः परीक्षा" से आप क्या समझते हैं ?
9. How does the contents of electronic records may be proved and how it may be admitted in any proceedings ? 4  
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं किस प्रकार साबित की जा सकेगी और किसी कार्यवाही में यह किस प्रकार ग्राह्य की जा सकेगी ?

### **INDIAN PENAL CODE, 1860**

#### **भारतीय दण्ड संहिता, 1860**

10. What is defamation ? What are the essential ingredients to constitute the offence of defamation ? Explain it's Exceptions. 8  
मानहानि क्या है ? मानहानि के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं ? इसके अपवादों की व्याख्या करें।
11. Explain the ingredients of the offence of "Dishonest Misappropriation of property"? Distinguish it from "Criminal Breach of Trust". 4  
सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के अपराध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करें? इसे आपराधिक न्यासभंग से भेद करियें।
12. What is abetment ? How is it different from criminal conspiracy ? 4  
दुष्प्रेरण क्या है ? यह आपराधिक षड़यंत्र से किस प्रकार भिन्न है ?

### **CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973**

#### **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973**

13. (a) In what circumstances State government can file an appeal against acquittal in Sessions Court ? 8  
(b) What are the powers of Magistrate to pass sentences ?  
(c) When an offender has been sentenced to pay fine and he makes default in making its payment then what action the court may take for its recovery ?  
(d) Whether Magistrate can commit the case to Court of Sessions after commencement of trial ? Explain.

- (अ) किन परिस्थितियों में राज्य सरकार दोषमुक्ति के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील कर सकती है ?
- (ब) मजिस्ट्रेट की दण्डादेश देने की क्या शक्तियाँ हैं ?
- (स) जब किसी अपराधी को जुर्माने का दण्डादेश दिया गया है और वह उस जुर्माने को अदा करने में व्यतिक्रम करता है तब न्यायालय उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर सकता है ?
- (द) क्या विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है ? स्पष्ट करें।
14. Whether the right to “default bail” get extinguished by subsequent filing of charge-sheet by police ? Explain through case law. 4  
 क्या “बाध्यताकारी जमानत” का अधिकार पश्चातवर्ती क्रम में पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत कर देने से समाप्त हो जाता है ? न्यायदृष्टांत से समझाईये।
15. (a) Define 'Charge' and enumerate the contents of charge? Is a 'defective Charge' necessarily fatal to conviction ? 4  
 (b) Can a court may alter the 'Charge'?
- (अ) 'आरोप' को परिभाषित कीजिये और आरोप की अंतर्वस्तुएँ बताये ? क्या 'त्रुटिपूर्ण आरोप' दोषसिद्धि के लिए आवश्यक रूप से घातक है।
- (ब) क्या न्यायालय 'आरोप' को परिवर्तित कर सकता है ?

### NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

#### परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

16. What is the presumption in favour of holder of cheque and how can it be rebutted ? 4  
 चैक धारक के पक्ष में क्या उपधारणा है और इसका किस प्रकार खंडन किया जा सकता है ?
17. When Cognizance of offences can be taken under the Negotiable Instrument Act, 1881? Discuss the provision as to the Court within whose local jurisdiction, the offence under section 138 of Negotiable Instrument Act shall be inquired into and tried? 4  
 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराधों का प्रसंज्ञान कब लिया जा सकता है ? वह न्यायालय जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की जाँच और विचारण की जायेगी, के प्रावधानों कि व्याख्या करें।

**MIXED**  
**मिश्रित**

18. **Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-**
- (A) Doctrine of estoppel. 4  
(अ) विबंध का सिद्धांत।
- (B) Difference between 'Investigation', 'Inquiry' and 'Trial' ? 4  
(ब) 'अनुसंधान', 'जांच' और 'विचारण' में क्या अंतर है ?
- (C) Vicarious liability in criminal law. 4  
(स) आपराधिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व।

\*\*\*\*\*

**M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN WRITTEN EXAM -2021**

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

कुल प्रश्नों की संख्या : 04  
Total No. of Questions : 04

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12  
No. of Printed Pages : 12

**JUDGMENT WRITING**

**निर्णय लेखन**

**Fourth Paper**

**चतुर्थ प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे  
Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100  
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

**Instructions :-**

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. **Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.**

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

**SETTLEMENT OF ISSUES**

**विवाद्यकों का स्थिरीकरण**

**Q.1 Frame the issues on the basis of the pleadings given here under - 10**

**PLAINTIFF'S PLEADINGS** :- The defendant had prosecuted the plaintiff for theft of bicycle. The plaintiff was arrested and detained in police custody for two days. Thereafter, during trial, he remained in jail for about 15 days. After investigation, the plaintiff was charged under Section 380 of IPC for committing theft of bicycle in the dwelling house of the defendant, however, the plaintiff was acquitted of the offence charged. The judgment of acquittal was declared on date 01-01-2008. According to plaintiff, the defendant had enmity with him. After acquittal, the plaintiff served a notice to defendant that due to malicious prosecution his reputation is lowered down in the eyes of public and in particularly of his relatives. He has claimed Rs. 10,000/- as compensation.

**WRITTEN STATEMENT** :- The defendant has denied the averments made by the plaintiff and alleged that he never prosecuted the plaintiff. The police officer of the concerned police station investigated the case and seized the bicycle from the accused. The witness of seizure memo were declared hostile and the court did not believe the evidence of the Investigating Officer who seized bicycle at the instance of the accused/plaintiff. He has denied that plaintiff is entitled to any damages, as the plaintiff's reputation was not at all lowered down in the eyes of public or in the eyes of the relatives. He has also stated that he did not find it necessary to reply to the notice, hence, no reply was given. He has further claimed that he can not be estopped for not replying to the said notice.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

**वादी के अभिवचन** — प्रतिवादी ने वादी को साइकिल चोरी करने के लिये अभियोजित किया था। वादी को गिरफ्तार किया गया था और दो दिनों के लिए पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया था। तत्पश्चात्, विचारण के दौरान वह 15 दिनों के लिए जेल में रहा। अन्वेषण के बाद भा.दं.सं. की धारा 380 के अधीन प्रतिवादी के निवास गृह में साइकिल चोरी करने के लिए आरोपित किया गया, यद्यपि, वादी को आरोपित अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया गया। दोषमुक्ति का निर्णय दिनांक 01-01-2008 को घोषित हुआ था। वादी के अनुसार, प्रतिवादी की वादी के साथ दुश्मनी थी। दोषमुक्ति के बाद वादी ने प्रतिवादी को नोटिस भेजा कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कारण उसकी प्रतिष्ठा लोगों की दृष्टि और विशेषतया उसके सम्बन्धियों में गिर गयी है। उसने प्रतिकर के रूप में 10000/- रुपये का दावा किया है।

**प्रतिवादी के अभिवचन** — प्रतिवादी ने वादी द्वारा किये गये अभिवचनों को अस्वीकार किया और अभिकथित किया कि उसने वादी को कभी भी अभियोजित नहीं किया था। संबंधित पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ने मामले का अन्वेषण किया था और अभियुक्त से साइकिल अभिगृहीत की थी। जप्ती मेमो के साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गये थे और न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी जिसने अभियुक्त/वादी द्वारा इंगित किये जाने पर साइकिल अभिगृहीत की थी, के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया था। उसने अस्वीकार किया कि वादी किसी प्रतिकर का हकदार है क्योंकि वादी की प्रतिष्ठा लोगों की दृष्टि में या उसके सम्बन्धियों की दृष्टि में धूमिल ही नहीं हुई थी। उसने यह भी कहा है कि उसने नोटिस का जवाब देना आवश्यक नहीं समझा था, इसलिए, कोई जवाब नहीं दिया था। उसने आगे दावा किया कि कथित नोटिस का जवाब न देने के कारण उसे विबन्धित नहीं किया जा सकता है।

### **FRAMING OF CHARGES**

#### **आरोपों की विरचना**

**Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of prosecution case/ allegations given below:- 10**

**PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS** – The case of prosecution in brief is that the complainant has lodged F.I.R. in police station stating that on 02/08/20 at 12 o'clock noon, he was proceeding towards his field at Bablai on his motorcycle and when he reached in front of well of Bhagwan on Sirsya road, then the driver of a dumper bearing registered No O.D. 29 B. 0120 drove his vehicle in rash & negligent manner and hit his motorcycle. Resultantly, the complainant suffered injuries on left

leg, knee, right thigh, right hand finger, and left side of the face, near eye. The driver of dumper ran away from the spot with the vehicle. The complainant was taken to hospital for treatment of injuries. A memo of bringing complainant to hospital for treatment was sent from hospital to the police station. The medical examination of complainant was done in which Doctor found abrasions on his body and opined for X-ray. On having done x-ray, fracture was found in his leg. An offence u/s 279, 337 of I.P.C. was registered against driver of dumper at the police station. At the time of submitting challan Section 338 of I.P.C. was added in it.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :- अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी द्वारा यह बताते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है की वह दिनांक 02/08/20 को दोपहर 12 बजे बबलाई स्थित खेत के लिए मोटर साईकल से जा रहा था और जब वह भगवान के कुएं के सामने सिरसियां रोड़ पर पहुँचा तब डम्पर क्रमांक ओ.डी.29-बी 0120 का चालक डम्पर को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकल को टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप, फरियादी को बाए पैर, घुटने, दाहिनी जांघ, दाहिने हाथ की अंगुली ओर चेहरे पर बाईं तरफ आंख के पास चोट लगी। डम्पर चालक वाहन को मौके से ले कर भाग गया। फरियादी को चोटों के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से थाना को तहरीर भेज कर फरियादी को दुर्घटना मे उपचार के लिए लाये गये होने की सूचना दी गई। फरियादी का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर ने उसे रगड़ की चोटें होना पाया और एक्सरे की सलाह दी। एक्सरे कराने पर उसके पैर में अस्थिभंग होना पाया गया था। थाने पर डम्पर चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.स. के तहत अपराध की कायमी की गई। चालान प्रस्तुति के समय उसमें भा.द.सं. की धारा 338 जोड़ी गयी।

### **JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)**

### **निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)**

**Q. 3 Frame issues on the basis of pleadings and evidence given below 40  
and write a judgment based on marshalling and appretiation of  
the evidence, along-with the relevant provisions of Law/Acts :-**

**Plaintiff's Pleadings** :- Plaintiff is owner of Plot No. 1 and admittedly defendant is owner of plot No.2. Both the plots are adjacent to each other. The plaintiff has constructed a house on his plot No.1 and on right side of his house, he has opened two windows. Since on left side and back side, there are walls of other houses, as, the plaintiff had no other source to get air in rear portion of his house. This is why plaintiff had constrain to open window on the right side. The plot No.2 is lying open for more than 25 years as defendant intends to sell it when it would fetch high value of plot. The plaintiff is enjoying air and light from his windows which is according to him minimum requirement for the permanent beneficial enjoyment of his property. According to plaintiff, he is enjoying the above right within knowledge of the defendant, peaceably, without any interruption for more than the last 23 years. It is further pleaded that the defendant had purchased his plot No.2. from some other person and before that plaintiff had already constructed his house. The defendant had even after purchase of said land, never objected to the constructed windows. Now, the defendant has started construction work and he is digging foundation so that on certain day he will erect wall adjacent to his house and thereby plaintiff will be precluded from enjoying his right of easement. Therefore the plaintiff has filed this suit for declaration and injunction restraining the defendant for closing windows and obstructing air and light which plaintiff is receiving for more than 20 years. The plaintiff has valued the suit for declaration to the tune of Rs. 1,000/- (One Thousand) as the value of the suit property and court fee of Rs. 120/- (M.P. State) has been paid. In addition, he has valued the suit for injunction to the tune of Rs. 400/- and a minimum court fee of Rs. 100/- (one hundred) has also been paid.

**Defendant's Pleadings** :- The defendant has denied all the averments made by the plaintiff and has stated that the predecessor-in-title had told him that the plaintiff had sought permission to construct two windows which he had acceded but

no written document was executed. Therefore, plaintiff has just an oral permission and can be revoked at any time. It was just a permission which was withdrawn by him before he started digging work on the plot. The defendant has further stated that even if the plaintiff has acquired the easementary right but this does not mean that it is an unfettered right. It is always to be chanelised so as to enable the defendant to use his property to the maximum beneficial enjoyment. The defendant has also challenged the valuation and court fee.

**Plaintiff's Evidence** :- Plaintiff has examined himself and proved the sanction of construction of his house which is 23 years old on the date of filing of the suit. The Municipal Corporation had given permission to open the disputed windows subject to easementary rights of neighbours. Plaintiff has also proved the completion certificate of house which is also taken by him more than 22 years back on the date of institution of suit. In the cross-examination, he has denied that he had taken any permission from the defendant's predecessor-in-title. He has stated that since the land was lying vacant there was no need to seek permission. He has further stated that the predecessor-in-title used to visit on his land but never objected to it as he was an illiterate labourer. Plaintiff has also admitted that he has just passed 5th standard and does not know anything about legal rights.

The plaintiff has examined one neighbour who deposed that he has seen the existence of windows for more than 20 years and has denied that the windows are never opened as plaintiff has no need of the windows and he has other sources from where he is receiving light and air. Plaintiff has examined one engineer, who has supported the plaintiff's case and stated that if windows are closed, there will be complete darkness in the room where the windows are situated.

**Defendant's Evidence** :- The defendant has examined himself and predecessor-in-title to support the case. Both have stated that in their presence the plaintiff had admitted that he will remove the

windows when the owner of the plot will start construction, but in cross-examination the predecessor-in-title had admitted that when the plaintiff opened windows in the wall he was not present on the spot. Subsequently, when he came to know about it, he objected to it and on objection plaintiff agreed to remove the windows as and when required. Nothing was done in black and white. It was all oral. The defendant has denied any right of easement and claimed that he has right to construct on his land and has also right to close windows.

**Arguments Plaintiff :-** Section 4 of the easement was referred a right by prescription was claimed. There was no consent on behalf of the plaintiff that he will remove the windows as and when required & there was no permission sought by the plaintiff from the predecessor-in-title for construction of windows in the wall, are the main arguments of plaintiff.

**Arguments Defendant :-** Plaintiff can have light and air from the front portion. No easement. The Plaintiff was permitted to open windows, therefore, no question of easement arises. All these are main arguments of defendant.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का क्रमबंधन एवं मूल्यांकन, संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के साथ करते हुए निर्णय लिखिये :-

**वादी के अभिवचन :-** वादी भू-खण्ड सं.1 का स्वामी है और स्वीकार्य रूप से प्रतिवादी भू-खण्ड सं.2 का स्वामी है दोनों भू-खण्ड एक-दूसरे से लगे हुए हैं। वादी ने भू-खण्ड सं.1 पर एक आवास का निर्माण किया है और अपने घर के दाहिनी ओर उसने दो खिड़कियां खोली हैं। चूंकि बाईं ओर और पीछे की ओर अन्य आवासों की दीवारें हैं, इसलिए वादी के पास अपने मकान के पिछले भाग में प्रकाश और हवा प्राप्त करने का कोई और स्रोत नहीं है। इसी कारण से वादी दाहिनी ओर खिड़की खोलने के लिये बाध्य था। भू-खण्ड सं.2 पच्चीस वर्षों से अधिक खाली पड़ा है क्योंकि प्रतिवादी इसे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर बेचने का आशय रखता है। वादी अपनी खिड़कियों से वायु एवं प्रकाश का उपभोग कर रहा है जो उसके अनुसार कथित सम्पत्ति के स्थायी लाभकारी उपभोग के लिए न्यूनतम अपेक्षा है। वादी के अनुसार वह प्रतिवादी के ज्ञान में, शांति पूर्वक, अबाध रूप से पिछले 23 वर्षों से अधिक समय से अधिकार का उपभोग कर रहा है। आगे यह भी अभिवचन किया गया

है कि प्रतिवादी ने अपने भू-खण्ड सं. 2 को किसी अन्य व्यक्ति से बाद में क्रय किया था और उसके पूर्व ही वादी ने अपने आवास का निर्माण किया था। प्रतिवादी ने कथित भूमि का क्रय करने के पश्चात भी निर्मित खिड़कियों पर कभी आपत्ति नहीं किया। अब प्रतिवादी ने निर्माण कार्य आरम्भ किया है और नींव खोद रहा है, ताकि किसी दिन वह उसके आवास से संलग्न दीवार खड़ा करे और तद्द्वारा वादी सुखाधिकार के अपने अधिकार का उपभोग करने से प्रवारित हो जायेगा। अतः वादी ने यह दावा घोषणा और व्यादेश का वाद प्रतिवादी को खिड़कियों को बन्द करके वायु एवं प्रकाश जिसे वह पिछले 20 वर्षों से अधिक से प्राप्त कर रहा है, को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए संस्थित किया है। वादी ने घोषणा के लिये वाद संपत्ति का मूल्य 1,000/- (एक हजार) रूपए की राशि के बराबर मूल्यांकित किया है और 120 रूपए (म0प्र0 राज्य) न्यायालय फीस का संदाय की है। इसके अतिरिक्त उसने व्यादेश के लिए वाद का 400 रूपए के बराबर मूल्यांकन किया है और 100 रूपए (एक सो) का न्यूनतम न्यायालय फीस का संदाय किया है।

**प्रतिवादी के अभिवचन :-** प्रतिवादी ने वादी द्वारा किये गये सभी प्रख्यानों का प्रत्याख्यान किया है और यह कहा है कि पूर्वस्वामी ने उसे बताया था कि वादी ने दो खिड़कियों का निर्माण करने के लिए अनुज्ञा चाही थी जिसे उसने स्वीकार किया था किन्तु इस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज निष्पादित नहीं कराया गया था। अतः वादी के पास मात्र मौखिक अनुज्ञा है जो किसी भी समय वापस ली जा सकती है। यह मात्र एक अनुज्ञा थी जिसे उसके द्वारा भू-खण्ड पर खुदाई कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्रत्याहृत किया गया था। प्रतिवादी ने आगे यह अभिकथित किया है कि यदि वादी ने सुखाचार अधिकार अर्जित कर भी लिया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक निरंकुश अधिकार है। इसे सदैव नियंत्रित किया जा सकता है जिससे प्रतिवादी को अपनी सम्पत्ति का अधिकतम लाभकारी उपभोग करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। प्रतिवादी ने मूल्यांकन और न्यायालय शुल्क को भी आक्षेपित किया है।

**वादी की साक्ष्य :-** वादी ने स्वयं को परीक्षित करवाया है और वाद दाखिल करने की तारीख पर 23 वर्ष पुराने अपने मकान के निर्माण की स्वीकृति को साबित किया है। नगरपालिका निगम ने पड़ोसी के सुखाचार अधिकारों के अध्यक्षीन विवादित खिड़कियों को खोलने की अनुज्ञा दी थी। वादी ने आवास के पूरा होने का प्रमाण पत्र जो वाद संस्थित करने की तारीख पर 22 वर्ष से अधिक पहले लिया गया था, को भी साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में उसने इस बात का प्रत्याख्यान किया है कि उसने प्रतिवादी के पूर्वस्वामी से कोई अनुज्ञा ली थी। उसने यह कहा है कि भूमि वहां खाली पड़ी थी, इसलिए अनुज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी उसने यह और कहा है कि पूर्वस्वामी अपनी भूमि को देखने आता था किन्तु इसको उसने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि वह एक निरक्षर श्रमिक था। वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मात्र पांचवी कक्षा पास की है और उसे विधिक अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है।

वादी ने एक पड़ोसी को परीक्षित करवाया है जिसने बताया है कि उसने 20 वर्षों से अधिक से खिड़कियों को विद्यमान देखा है और इस बात का प्रत्याखान किया है कि खिड़कियां कभी नहीं खोली गयी हैं क्योंकि वादी को खिड़की की आवश्यकता नहीं है, और उसके पास अन्य स्रोत हैं जहां से वह प्रकाश और वायु प्राप्त कर रहा है। वादी ने एक इंजीनियर को परीक्षित करवाया है जिसने वादी के वाद का समर्थन किया है और कहा है कि यदि खिड़कियां बन्द की जाती हैं तो उस कमरे में जहां खिड़कियां स्थित हैं पूर्ण अंधेरा होगा।

**प्रतिवादी की साक्ष्य** :- प्रतिवादी ने स्वयं को और पूर्वस्वामी को अपने पक्ष के समर्थन में परीक्षित कराया है। दोनों ने यह कहा है कि उनकी उपस्थिति में वादी ने यह स्वीकार किया था कि वह खिड़कियां हटा देगा जब भी भू-खण्ड का स्वामी निर्माण आरम्भ करेगा। किन्तु प्रतिपरीक्षा में पूर्वस्वामी ने यह स्वीकार किया है कि जब वादी ने दीवार में खिड़कियां खोली तब वह मौके पर उपस्थित नहीं था। बाद में जब उसे इसके बारे में जानकारी हुई तब उसने इसकी आपत्ति की तब वादी जब और जैसे ही आवश्यकता होगी खिड़कियां हटाने पर राजी था। लिखित में कुछ नहीं किया गया। सभी मौखिक था। प्रतिवादी ने सुखाचार के किसी अधिकार का प्रत्याखान किया और यह दावा किया कि उसको अपनी भूमि पर निर्माण करने का और खिड़कियां बन्द करने का भी अधिकार है।

**तर्क वादी** :- सुखाचार की धारा 4 निर्दिष्ट किया गया, चिरभोग द्वारा एक अधिकार का दावा किया गया। वादी की ओर से यह सहमति नहीं थी कि जब भी आवश्यकता होगी, वह खिड़कियाँ हटा देगा और वादी द्वारा पूर्वस्वामी से खिड़कियाँ खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, वादी के प्रमुख तर्क हैं।

**तर्क प्रतिवादी** :- वादी सामने के भाग से प्रकाश और वायु प्राप्त कर सकता है। कोई सुखाचार नहीं है। वादी को खिड़कियां खोलने के लिए अनुमति दी गई थी। अतः, सुखाचार का कोई प्रश्न नहीं उठता। उक्त सभी प्रतिवादी के प्रमुख तर्क हैं।

### **JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)**

#### **निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)**

**Q. 4 Frame the charge on the basis of prosecution case and write a judgment with reason based upon the facts, evidence and arguments given below. 40**

#### **Prosecution Case :-**

The prosecution case in short is that on 11.4.2008, at about 11:55 p.m. in the night, the complainant was fetching water from a public tap. The accused asked for his cycle but the complainant refused to give his cycle to him. On this issue, the accused started abusing the complainant and when the complainant requested him not to do so,

then the accused brought a *lathi*. After seeing the accused, the complainant went inside his house, however, the accused followed him and brought him out of house and started beatings the complainant by means of lathi, as a result of which, the complainant fell down on the ground and sustained various injuries on the different parts of his body. The incident was witnessed by Lala Shrivastav, Kundan Singh, Manju, etc. The complainant lodged report in police station Kotwali, Shivpuri on 12.4.2008, at about 00:45 a.m. in the night and on the said complaint, the police registered Crime No. 230/2008. The complainant was sent for medical examination. During investigation, spot map was prepared, the statements of the witnesses were recorded.

**Defence Plea :-**

There is no previous enmity with the complainant. The injuries on the body of complainant are old injuries, not caused on the date of the incidence. Injuries can be caused by falling on ground. No offence is made out under section 327 of I.P.C. There is no eye-witness, as incidence occurred in dark midnight.

**Evidence for prosecution :-**

The complainant had received 8 contusions on his body and medically examined by Doctor (P.W.-5), Preparing M.L.C. report Exhibit P-6. Prosecution examined the complainant (P.W.-1), Gopal Giri (P.W.-2), Lala Shrivastav (P.W.-3), Kundan Singh (P.W.-4).

**Evidence for defence :-**

Accused in his examination under section 313 Cr.P.C. contended that recovery of lathi is not proved. He has committed no offence, injuries were not caused on the date of incidence, but injuries were old.

**Arguments of Prosecutor :-**

The offences are established by the prosecution evidence. Injuries are proved by expert evidence. Prosecution witnesses are reliable.

**Arguments of Defence Counsel :-**

Prosecution has not proved the case beyond reasonable doubt. There is no extortion of property. Injuries are not proved. Recovery is not proved. There was no assault on the complainant.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार सकारण निर्णय लिखिये –

**अभियोजन का प्रकरण :-**

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 11.4.2008 को लगभग 11:55 बजे रात में परिवादी सार्वजनिक नल से पानी भर रहा था। आरोपी ने उसकी साइकिल मांगी, लेकिन परिवादी ने आरोपी को अपनी साइकिल देने से मना कर दिया। इस विवाद पर आरोपी परिवादी को गाली देने लगा, जब परिवादी ने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया, तो आरोपी एक लाठी ले आया। आरोपी को देखकर, परिवादी अपने घर के अंदर चला गया, किंतु, आरोपी ने उसका पीछा किया और उसे घर के बाहर ले आया और लाठी से परिवादी को मारने लगा, जिसके परिणामस्वरूप, परिवादी जमीन पर गिर पड़ा एवं उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर उपहतियां कारित हुईं। घटना को लाला श्रीवास्तव, कुन्दन सिंह, मंजू इत्यादि द्वारा देखा गया था। परिवादी ने 12.04.2008 को लगभग 00:45 बजे रात में थाना कोतवाली, शिवपुरी में रिपोर्ट दर्ज करायी, और उस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 230/2008 पंजीकृत किया गया। परिवादी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। अन्वेषण के दौरान स्थल नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये।

**प्रतिरक्षा अभिवाक :-**

परिवादी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। परिवादी के शरीर पर चोटें पुरानी चोटें हैं और घटना दिनांक को कारित नहीं की गई है। घटना जमीन पर गिरने से कारित हो सकती है। भा.दं.सं. की धारा 327 के तहत अपराध नहीं बनता है। कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है क्योंकि घटना अंधेरी रात में घटित हुई है।

**अभियोजन की साक्ष्य :-**

परिवादी के शरीर पर 8 चोट के निशान मिले थे और एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी-6, डॉक्टर (पी.डब्लू-5) के द्वारा तैयार किया गया। अभियोजन पक्ष ने साक्षियों, परिवादी (पी.डब्लू-1), गोपाल गिरी (पी.डब्लू-2), लाला श्रीवास्तव (पी.डब्लू-3), एवं कुदंन सिंह (पी.डब्लू-4) का परीक्षण कराया है।

**बचाव साक्ष्य :-**

आरोपी ने द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में यह कथन किये हैं कि लाठी की बरामदगी साबित नहीं हुई। उसने कोई अपराध नहीं किया है। घटना की तारीख को चोटें कारित नहीं हुई, पुरानी चोटें थीं।

**अभियोजक का तर्क :-**

अभियोजन साक्ष्य से अपराध सिद्ध होते हैं। विशेषज्ञ साक्ष्य से चोटों की पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय हैं।

**बचाव अधिवक्ता का तर्क :-**

अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित नहीं किया है। संपत्ति का उद्घापन नहीं हुआ है। चोटें साबित नहीं हुई हैं। संपत्ति की जप्ती प्रमाणित नहीं है। परिवादी पर कोई हमला नहीं हुआ।

**\*\*\*\*\***